न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–53 / 2022 दायर दिनांक– 18.4.2022

GCMS NO:- 2022/112 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हनुमान आ0 मोडू जाति मीना नि0 खासपुरिया तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. भूस्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ।
2. शंकरलाल आ0 भैरू जाति मीना नि0 खासपुरिया तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खासपुरिया प.म. गंभीरा मे वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 202 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 979 रकबा 1.3915 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 981 रकबा 1.2135 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी तन्हा खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज काश्त है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों की मेरों को तोडकर अपनी भूमि मे मिलाना चाहता है तथा उसके खाते की भूमि की सीमा मे नही रहना चाहता। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से अपनी सीमा मे रहने को कहा तो वह और उसके परिवार के सदस्य प्रार्थी से लडाई झगडा करने लग गये। उनके द्वारा प्रार्थी की भूमि की तारबंदी को जबरन हटा दिया तथा कहां कि यहां तक मेरे खेतों की सीमा है, मै कब्जा करूंगा। तू अपनी भूमियों की पत्थरगढी करवा ले। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस पेश कर धारा 111 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा वकालातनामा व जवाब पेश किया जा चुका है। बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खासपुरिया स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 979 व 981 की अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मेरों को तोडकर अपनी भूमि मे मिलाना चाहता है तथा उसके खाते की भूमि की सीमा मे नही रहना चाहता। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस पर अप्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी चरण अस्वीकार है। उक्त आराजी बाबत् इन्ही पक्षकारों का माननीय न्यायालय मे ही दावा संख्या 7 / 2014 जैरकार है जो धारा 88, 89, 188 आरटी एक्ट व 136 एलआर एक्ट का है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा बाद अवलोकन व अध्ययन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम खासपुरिया के खसरा नम्बर 979 रकबा 1.3915 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 981 रकबा 1.2135 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500 / – रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा